

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU **PS:** SVB ROHTAK **Year:** 2013 **FIR No:** 08 **Date:** 14-06-13

2. **Act(s):** **Section(s)**
(i) Haryana Urban Development Act 1975 7A & 7(1)

(ii)

(iii)

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Friday **Date From:** 14-06-2013 **Date To:** : 14-06-2013

Time Period: **Time From:** **Time To:** 10-50 A.M

(b) **Information received at P.S: Date:** : 14-6-2013 **Time:** 10-50 A.M

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 05 **Time:** 10 -50 A.M

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:** East 40 K.M. **Beat No.:**

(b) **Address :** Insp. Hari Parkash , SVB unit Jhajjar

(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**

Name of P.S: SVB ROHTAK

District: Rohtak

6 **Complainant/Informant:**

a. **Name:** Insp. Hari Parkash

b. **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

c. **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

d. **Occupation:**

e. **Address:** SVB Unit -Jhajjr

7 **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

Partap Singh Nayab Tehsildar B.Garh Present

Satish Bhardhwaj Tehsildar B. Garh Present

8 Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

9 Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10 Total value of property stolen:

11 Inquest Report/U.D Case No., if any

12 F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में, प्रबन्धक थना, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) रोहतक मण्डल रोहतक। श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 9 दिनांक 26.11.12 झज्जर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 62/63/12-4 चौकसी-11 दिनांक 19.11.12 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो के पृ0 क्र0 16165/आई-1 दिनांक 26.11.12 अनुसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप था कि श्री सतीश भारद्वाज तत्कालीन तहसीलदार बहादुरगढ व श्री प्रताप सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार बहादुरगढ द्वारा बिना रिश्वत लिये कोई रजिस्ट्ररी ना करना व बिना एन0ओ0सी के कन्ट्रोल एरिया मे धडल्ले से रजिस्ट्ररी करना व अवैध कॉलोनियो को बढावा देकर रिश्वत लेकर रजिस्ट्ररी करना व नार्दन इण्डिया ग्लास की रजिस्ट्ररी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय का स्टे है भारी रिश्वत लेकर करना तथा बिना एन0ओ0 सी के अवैध कॉलोनियो की रजिस्ट्ररी करना था। जांच की पडताल से पाया गया कि आरोपी श्री सतीश भारद्वाज नायब तहसीलदार बहादुरगढ द्वारा अपने कार्याकाल के दौरान बिना एन0ओ0सी लिये एम0आई0ई0 क्षेत्र बहादुरगढ मे 4 + 3 कुल 7 रजिस्ट्रियां पंजीकृत करनी पाई गई, जिनमें से 4 रजिस्ट्ररी श्री सतीश भारद्वाज तत्कालीन तहसीलदार द्वारा व 3 रजिस्ट्ररी श्री प्रताप सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा पंजीकृत की गई। इसके अतिरिक्त इन अधिकारियों द्वारा अवैध कॉलोनियो की 276 रजिस्ट्रियां बिना एन0ओ0सी0 लिये की जानी पाई गई। जिसमे से 170 श्री सतीश भारद्वाज तत्कालीन तहसीलदार व 106 रजिस्ट्रियां श्री प्रताप सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार बहादुरगढ द्वारा पंजीकृत है। इस प्रकार इन अधिकारियों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का दूरपयोग करते हुए एम0आई0ई0 क्षेत्र मे बिना एन0ओ0सी0 लिये व अवैध कॉलोनियो मे बिना एन0ओ0सी0 लिये रजिस्ट्रिया पंजीकृत करके अपराध हरियाणा शहरी विकास एरिया अधिनियम 1975 की धारा 7ए व 7(1) का किये जाने पर रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट का प्ररीक्षण करने के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 62/63/12-4 चौकसी-11 दिनांक 25.04.13 महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरि0 के पृ0 क्र0 6893/आई-1 दिनांक 30.04.13 अनुसार इस सम्बन्ध मे हरियाणा शहरी विकास

अधिनियम 1975 की धारा 7 ए0 व धारा 7 (1) के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये। अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाए तो उसे भी अभियोग में शामिल कर लिया जावे अतः तहरीर बदस्त सि0 प्रदीप कुमार न0 1617 सोनीपत आपकी सेवा में भेज कर लिखा जाता है कि श्री सतीश भारद्वाज तत्कालीन तहसीलदार बहादूरगढ व श्री प्रताप सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार बहादूरगढ के विरुद्ध हरियाणा शहरी विकास एरिया अधिनियम 1975 की धारा 7 ए0 व धारा 7 (1) के अन्तर्गत अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सभी सम्बन्धित को भेजी जाये। जांच से सम्बन्धित मूल रिकार्ड साथ संलग्न है। इस मुकदमा में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवाकर सम्बन्धित रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी को भेजा जाये। हस्ता हिन्दी हरि प्रकाश निरीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो, उप केंद्र झज्जर दिनांक 14.06.13 अज थाना रा0चौ0 ब्यूरो उपकेन्द्र झज्जर अज थाना: आमदा तहरीर पर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ0आई0आर तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा में भेजी जायेगी। स्पेशल रिपोर्ट अरिन्दा सिपाही प्रदीप कुमार 1617 सोनीपत द्वारा ईलाका मेजीस्टेट झज्जर भेजी गई। नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर मय रिकार्ड के मुकदमा की आगामी तफतीश हेतू निजद निरीक्षक सुशील कुमार, बादस्त ई0एच0सी0 सुखबीर सिंह 371/रोहतक के एस0वी0बी0 यूनिट पानीपत भेजी जा रही है।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation
(ii) Directed(Name of the I.O.): Insp. Sushil Kumar

OR

No.: 93/HAP

Rank: Inspector
to take up the investigation,OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: Savitri Devi
Rank: Sub Insp. No. 145 BWN

15 Date and Time of despatch to the court: बदस्त सिपाही प्रदीप 1617 सोनीपत